संख्या-117/2023/3556/22-2-2022-17(1390)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहनवाज पुत्र श्री शाकिर अली, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहनवाज पुत्र श्री शाकिर अली, नीन्दडू, थाना-धामपुर, वर्तमान हाथी वाला मन्दिर, थाना-नहटौर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। (1) दिनांक 01.02.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में इफ्तखार उर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया। (2) पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 05.08.2007 को बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, छुरी व तबल से इफ्तखार उर्फ गुड्डू एवं इसरार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु बंदी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-220/2005, धारा-307, 452, 504 आई0पी0सी0 एवं 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-05, बिजनौर के आदेश दिनांक 20.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (2) एस0टी0 नं0-74/2008 धारा-147, 148, 302/149, 506 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, बिजनौर के आदेश दिनांक 04.07.2008 दवारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.02.2022 तक एस0टी0नं0-220/05 में 14 वर्ष 08 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा सपरिहार 19 वर्ष 05 माह 24 दिन की एवं एस0टी0नं0-74/08 में अपरिहार 14 वर्ष 05 माह 08 दिन एवं 18 वर्ष 11 माह 08 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 01.02.2005 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में इफ्तखार उर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया तथा दिनांक 05.08.2007 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर को लेकर चाकू, छुरी व लवल से इफतखार उर्फ गुड्डू एवं इसरार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, कारागार में निरूद्ध के दौरान 05 बार जेलदण्ड से दण्डित किये जाने, जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन अधिकारी,पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शाहनवाज पुत्र श्री शाकिर अली को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहनवाज (बंदी संख्या-46571) पुत्र श्री शाकिर अली, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-117/2023/3556(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-117/2023/3556/22-2-2022-17(1390)/2022

दिनांक 31 मार्च, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहनवाज पुत्र श्री शाकिर अली, नीन्दडू, थाना-धामपुर, वर्तमान हाथी वाला मन्दिर, थाना-नहटौर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। (1) दिनांक 01.02.2005 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में इफ्तखार उर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया। (2) पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 05.08.2007 को बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू, छुरी व तबल से इफ्तखार उर्फ गुड्डू एवं इसरार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु बंदी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-220/2005, धारा-307, 452, 504 आई0पी0सी0 एवं 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-05, बिजनौर के आदेश दिनांक 20.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (2) एस0टी0 नं0-74/2008 धारा-147, 148, 302/149, 506 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, बिजनौर के आदेश दिनांक 04.07.2008 दवारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.02.2022 तक एस0टी0नं0-220/05 में 14 वर्ष 08 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा सपरिहार 19 वर्ष 05 माह 24 दिन की एवं एस0टी0नं0-74/08 में अपरिहार 14 वर्ष 05 माह 08 दिन एवं 18 वर्ष 11 माह 08 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 01.02.2005 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में इफ्तखार उर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया तथा दिनांक 05.08.2007 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर को लेकर चाकू, छुरी व लवल से इफतखार उर्फ गुड्डू एवं इसरार नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, कारागार में निरूद्ध के दौरान 05 बार जेलदण्ड से दण्डित किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी,पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शाहनवाज पुत्र श्री शाकिर अली को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in